रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-24082022-238349
SG-DL-E-24082022-238349

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 396]	दिल्ली, बुधवार, अगस्त 24, 2022/भाद्र 2, 1944	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 228
No. 396]	DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 24, 2022/BHADRA 2, 1944	[N. C. T. D. No. 228

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

राजस्व विभाग

[कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट (दक्षिण-पूर्व)]

अधिसूचना

दिल्ली, 24 अगस्त, 2022

सं. फा. डी.एम./एस.ई/एल.ए.सी/भाग-2/2021-1675.—जबकि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनःस्थापन का उचित मुआवजे और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के तहत जारी अधिसूचना संख्या ए.डी.एम./द.पू./एल.ए.सी./2016/506 दिनांक 02.09.2019 के द्वारा जन कार्यों के लिए गांव नंगली रजापुर में सराय काले खां से मयूर बिहार, नई दिल्ली तक बारापुस्ता नाले पर एलिवेटेड रोड के निर्माण हेतु परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु अधिसूचना जारी की गयी थी;

और जबकि, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनःस्थापन का उचित मुआवजे और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) के तहत जारी अधिसूचना संख्या डीएम/एसई/आरआर/एलएसी/208 दिनांक 26.08.2021 के द्वारा गांव नंगली रजापुर में सराय काले खां से मयूर बिहार, नई दिल्ली तक बारापुस्ता नाले पर एलिवेटेड रोड के निर्माण हेतु पुनर्वासन और पुनर्वयवस्थापन स्कीम के सार के प्रकाशान और घोषणा के लिए अधिसूचना जारी की गयी थी;

और जबकि, उक्त अधिनियम की धारा 25 के अनुसार, कलेक्टर, धारा 19 के अधीन घोषणा के प्रकाशन की तारीख से बारह मास की अवधि के भीतर अधिनिर्णय करेगा और यदि उस अवधि के भीतर कोई अधिनिर्णय नहीं किया जाता है तो भूमि के अर्जन की समस्त प्रक्रियाएं व्यपगत हो जाएंगी परंतु समुचित सरकार को बारह मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी, यदि उसकी राय में ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जो उसे न्यायोचित ठहराती हैं

और जबकि, अधिनिर्णय जारी करने के लिए समय बढ़ाने के प्रस्ताव को माननीय उपराज्यपाल दिल्ली द्वारा अनुमोदित किया गया है और अधिनिर्णय जारी करने के समय को 31.12.2022 तक बढ़ा दिया गया है;

इसलिए, अब, उपयुक्त सरकार द्वारा उक्त भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनःस्थापन का उचित मुआवजे और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 25 के प्रावधान के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनिर्णय जारी करने की अवधि 31.12.2022 तक बढ़ाने की अनुमति प्रदान कर दी है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश और उनके नाम पर,

खिल्ली राम मीना, भा. प्र. से., प्रमुख सचिव /मंडल आयुक्त (राजस्व)

REVENUE DEPARTMENT

[OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE (SOUTH-EAST)]

NOTIFICATION

Delhi, the 24th August, 2022

F. No. DM/SE/LAC/Part-II/2021-1675.—Whereas, Preliminary Notification under sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 was issued vide notification No. ADM/SE/LAC/2016/506 dated 02.09.2019 for acquisition of land for public purpose, namely for construction of Elevated Road over Barapullah Nallah starting from Sarai Kale Khan to Mayur Vihar , New Delhi;

And whereas, a Notification under sub section (1) of section 19 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 was issued vide notification No. DM/SE/RR/LAC/208 dated 26.08.2021 for declaration and publication of summary of Rehabilitation and Resettlement Scheme namely for construction of Elevated Road over Barapullah Nallah starting from Sarai Kale Khan to Mayur Vihar , New Delhi;

And whereas, as per section 25 of the said Act, the Collector shall make an award within a period of twelve months from the date of publication of the declaration under section 19 and if no award is made within that period, the entire proceedings for the acquisition of the land shall lapse, however, the appropriate Government shall have the power to extend the period of twelve months if in its opinion, circumstances exist justifying the same ;

And whereas, a proposal for extension of time for making an award has been approved by the Hon'ble Lt. Governor of Delhi and the time for making has been extended up to 31.12.2022 ;

Now, therefore, the appropriate Government in exercise of powers conferred under proviso of section 25 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, is pleased to extend the period for making an award up to 31.12.2022.

By Order and in the Name of Lieutenant Governor
National Capital Territory of Delhi,

KHILLI RAM MEENA, IAS, Pr. Secy./Divisional Commissioner (Revenue)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA